

EDUCATION

**Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDIA**

Signed at New Delhi July 4, 2008



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

INDIA

Education

*Agreement signed at New Delhi
July 4, 2008;
Entered into force July 4, 2008.*

**Agreement Between
The Government of the United States of America
And
The Government of India
For
Financing Certain Educational Exchange Programmes**

The Government of the United States of America and the Government of India (hereinafter referred to as "the Parties"):

Desiring to promote further mutual understanding between the peoples of the United States of America and India by a wider exchange of knowledge and professional talents through educational contacts;

Considering the mutual benefits derived from such program and the desire of the Parties to cooperate and assist in the financing and expansion of this program for the further strengthening of bilateral cooperation in this area.

Recalling the Agreement of February 2, 1950, and the Agreement of June 19, 1963 superseding it, between the two countries on the same subject, have agreed as follows:

Article 1

The United States Educational Foundation in India established under the Indo-U.S. agreement of February 2, 1950 and continued under the Indo-U.S. agreement of June 19, 1963 shall continue to function under the terms of the present Agreement as the U.S. - India Educational Foundation (hereinafter referred to as "the Foundation"), awarding Fulbright-Jawaharlal Nehru Scholarships and Grants

The Parties specifically affirm their intention that the Foundation shall continue to be recognized by the Government of the United States of America and the Government of India as an organization created and established to facilitate the administration of the educational program to be financed by funds made available by both Parties under the terms of the present agreement and by other appropriate sources as approved by the Foundation Board, keeping in mind the objectives of the program as contained in this agreement.

Article 2

The funds made available by the Parties and by other sources, within the conditions and limitations hereinafter set forth, shall be used by the Foundation for the purposes of:

- (i) financing studies, research, instruction, and other educational activities (i) of or for citizens and nationals of the United States of America in India, and (ii) of or for citizens and nationals of India in United States of America.
- (ii) financing visits and interchanges between the United States of America and India of students, teachers, scholars, and professionals; and
- (iii) facilitating and financing such other related educational and cultural programs and activities such as evaluation, testing and educational advisory services; promoting cooperation and information sharing about higher education systems and practices; and conferences and workshops.

Article 3

In furtherance of the aforementioned purposes, the Foundation may, subject to the provisions of the present Agreement, exercise all powers necessary to carry out the purposes of the present Agreement including the following:

- (i) Receive funds.
- (ii) Open and operate bank accounts in the name of the Foundation in a bank/banks to be designated by the Foundation Board.
- (iii) Prepare an annual budget proposal and disburse funds and make grants and advances of funds, including payment for transportation, tuition, maintenance and other expenses relevant to Article 2 (i), (ii) and (iii).
- (iv) Acquire, hold, and dispose of property in the name of the Foundation as the Board of Directors of the Foundation may consider necessary or desirable
- (v) Plan, adopt, and carry out programs in accordance with the purposes of the present Agreement.
- (vi) Recommend to the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board of the United States of America students, teachers,

scholars and professionals of India and the United States of America to participate in the program.

- (vii) Recommend to the aforesaid Fulbright Foreign Scholarship Board such qualifications for the selection of participants in the programs as it may deem necessary.
- (viii) Provide for annual audit of the accounts of the Foundation by the auditors selected by the Foundation Board and make the same available to both Parties.
- (ix) Engage an Executive Director and administrative and clerical staff and fix and pay the salaries and wages thereof and incur other administrative expenses associated with the Foundation as may be deemed necessary.
- (x) Administer or assist in administering or otherwise facilitate educational and cultural programs and activities that further the purposes of the present Agreement but are not financed by funds made available under this Agreement, provided, however, that such programs and activities and the Foundation's role therein shall be approved in advance by the Foundation Board, and not objected to by either Party.

Article 4

The management and direction of the affairs of the Foundation shall be vested in a Board of Directors consisting of ten Directors (hereinafter designated 'the Board'), five of whom shall be citizens of the United States of America and five of whom shall be citizens of India. The Foreign Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India or his designee and the Chief of Mission of the U.S. Diplomatic Mission to India, shall be Honorary Co-Chairpersons of the Board, entitled to participate in Board meetings as non-voting members. The Board will ordinarily seek to function on the basis of broad consensus. Matters which cannot be resolved within the Board will be referred to the Parties to be resolved by mutual consultation. The Government of India shall have the power to appoint and remove the citizens of India on the Board, at least one of whom will be from the Ministry of Human Resource Development and one from the Ministry of External Affairs. The Chief of Mission shall have the power to appoint and remove the citizens of the United States of America on the Board, at least two of whom shall be officers of the United States Foreign Service establishment in India.

The Directors shall be appointed for two-year terms and shall be eligible for reappointment for an additional two years. Vacancies by

reason of resignation, transfer of residence outside India, expiration of service or otherwise, shall be filled in accordance with the appointment procedures set forth in this Article. A Director of the Foundation Board serving at the time that this Agreement comes into effect shall continue to serve the term applicable at the time of his or her appointment, unless that Director is removed pursuant to this Article.

The Directors shall serve without compensation but the Foundation is authorized to pay the necessary expenses of the Directors in attending the meetings of the Board.

A President shall be elected by the Board from its own membership for a period of service of one year provided that the position shall be assumed alternately by a citizen of the United States of America and a citizen of India.

Article 5

The Board shall adopt such by-laws and appoint such committees as it shall deem necessary for the conduct of the affairs of the Foundation.

Article 6

Reports acceptable in form and content to the two Parties shall be made annually on the activities of the Foundation to the two Parties.

Special reports may be made more often at the discretion of the Foundation or at the request of either Party.

Article 7

The principal office of the Foundation shall be in the capital city of India, but meetings of the Board and any of its committees may be held in such other places as the Board may from time to time determine, and the activities of any of the Foundation's officers or staff may be carried on at such places as may be approved by the Board.

Article 8

The Executive Director shall be responsible for the direction and supervision of the Board's programs and activities in accordance with the Board's resolutions and directives and the provisions of this Agreement. In his or her absence or disability, the Board may appoint an Acting Executive Director for such time as it deems necessary or desirable.

Article 9

The Parties agree to establish a Finance Committee comprising representatives of both Governments, which will:

- (a) Subject to the instructions of the respective Parties, approve the budget proposed by the Board and determine the budgetary support to be contributed by the respective Parties to the Foundation for each Program year.
- (b) Recommend to the Parties the amount to be released periodically to the Foundation by the two Parties; and
- (c) Review annually the audited accounts of the Foundation and request clarifications as deemed necessary prior to the Board's submission of these to the Parties

The Finance Committee will meet periodically as required, but not less than once every quarter. The Foundation Executive Director shall provide secretariat support to the Finance Committee.

Article 10

The Parties shall agree to make annual allocations of funds to the Foundation for the purposes of this Agreement each fiscal year. The amount of such annual allocations shall be subject to the funds available to both Parties in accordance with their respective national laws and regulations. The Parties agree on the need for parity in their respective financial contributions to the Foundation, with both sides committed to providing substantial sharing of costs under this Agreement.

All administrative expenditures of the Foundation, including salaries, wages, rents, and utilities, shall continue to be met by the Government of United States of America until decided otherwise by the two Parties.

In the budgeting and accounting of the funds of the Government of India, and in the financial and program reporting to the Government of India, the Foundation shall follow the approved financial norms of the Government of India.

In the budgeting and accounting of the funds of the Government of the United States, and in the financial and program reporting to the Government of the United States, the Foundation shall follow the US Department of State's Manual for Binational Commissions and Foundations.

Article 11

The Foundation shall continue to enjoy exemption from taxation as follows:

- (i) Furniture, equipment, supplies and any other articles intended for official use of the Foundation shall be exempt in the territory of India from customs duties, excise, and surtaxes and every other form of taxation.
- (ii) All funds and other property used for the purposes of the Foundation within the scope of its purposes shall likewise be exempt from taxation of every kind in the territory of India.
- (iii) The sale or disposal in India of any such furniture, equipment, supplies, etc. shall be in accordance with the rules and regulations of the Government of India as existing at the time of such sale or disposal.
- (iv) Contributions of the Government of India shall be exempt from taxes in the United States of America, in accordance with the Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income," signed September 12, 1989, which came into effect on January 1, 1991

Article 12

The Government of India shall extend to citizens and nationals of the United States of America engaged in educational activities in India under the auspices of the Foundation, such privileges with respect to exemption from taxation and other burdens affecting the entry, travel and residence of such persons as are extended to citizens and nationals of India engaged in similar activities in the United States of America subject to the domestic law, rules and regulations of the Governments of India and the United States of America applicable to foreigners.

Article 13

The present Agreement may be amended by the exchange of diplomatic notes between the Parties.

Article 14

The Parties shall make every effort to facilitate the programs authorized in this Agreement and to resolve problems which may arise in the operation thereof.

Article 15

The present Agreement supersedes the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of India for Financing Certain Educational Exchange Programmes, signed at New Delhi on June 19, 1963.

The present Agreement shall come into force upon the date of signature.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.


Done at New Delhi, in duplicate, on this 4th day of July, 2008 in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of ambiguity, the English text shall prevail.


For the Government
of the United States of America
DAVID C. MULFORD
Ambassador


For the
Government of India
SHIVSHANKAR MENON
Foreign Secretary

**EXPLANATORY MEMORANDUM AS TO THE MANNER IN WHICH THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AGREES TO
IMPLEMENT ARTICLE 11 (iv)**

The Government of the United States of America desires to inform the Government of India as to the manner in which it is prepared to give effect to Article 11 (iv) with respect to the exemption from U.S. federal income taxation of contributions to the Foundation by the Government of India. Pursuant to Article 1, 9, and 10, substantially all funding of the Foundation will be derived from the Parties; the Foundation is not and will not be a U.S. person; and the Foundation is not and will not be engaged in a trade or business in the United States. Under those conditions, the receipt of contributions from the Government of India to the Foundation shall be exempt from U.S. federal income taxation.


**For the Government
of the United States of America**
DAVID C. MULFORD
Ambassador


**For the
Government of India**
SHIVSHANKAR MENON
Foreign Secretary

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार
और
भारत की सरकार के बीच
कतिपय शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के वित्तपोषण
के लिए करार

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार तथा भारत सरकार (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'संविदाकारी पक्ष' कहा गया है);

शैक्षणिक संपर्कों के माध्यम से ज्ञान एवं व्यावसायिक प्रतिभाओं के व्यापक आदान-प्रदान कर संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के लोगों के बीच और अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

ऐसे कार्यक्रमों से होने वाले परस्पर लाभ और इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए इस कार्यक्रम का वित्तपोषण और विस्तार करने में सहयोग और सहायता करने की दोनों पक्षों की इच्छा पर विचार करते हुए;

इसी विषय पर दोनों देशों के बीच 2 फरवरी, 1950 के करार और 19 जून, 1963 के करार को स्मरण कर इसका अधिक्रमण करते हुए, निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद- एक

2 फरवरी, 1950 के भारत-अमरीका करार के अंतर्गत स्थापित और 19 जून, 1963 के भारत-अमरीका करार के तहत जारी भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान वर्तमान करार की शर्तों के तहत फुलब्राइट-जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्ति और अनुदान प्रदान करने वाले 'अमरीका-भारत शैक्षिक प्रतिष्ठान (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्रतिष्ठान' कहा गया है) के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

दोनों पक्ष अपने इस आशय की विशेष रूप से पुष्टि करते हैं कि प्रतिष्ठान, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत की सरकार के द्वारा एक ऐसे संगठन के रूप में पहचाना जाता रहेगा जो कि वर्तमान करार की शर्तों के अंतर्गत दोनों पक्षों द्वारा और इस करार में निहित कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य उपयुक्त संसाधनों द्वारा उपलब्ध कराए गए से द्वारा वित्तपोषित किए जाने हेतु शैक्षिक कार्यक्रम के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सृजित और स्थापित किया गया हो।

अनुच्छेद- दो

इसमें इसके पश्चात निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं के अंदर दोनों पक्षों तथा अन्य स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराये गये कोष का उपयोग प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

- (i) भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिकों और राष्ट्रिकों के अथवा के लिए और (ii) संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के नागरिकों और राष्ट्रिकों के अथवा के लिए अध्ययन, अनुसंधान, निर्देशन तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना।

- (ii) संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों तथा व्यावसायिकों के दौरों और आदान-प्रदान का वित्तपोषण करना और
- (iii) मूल्यांकन, परीक्षण तथा शैक्षणिक परामर्शी सेवाओं जैसे ऐसे अन्य संबंधित शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाना एवं वित्तपोषण करना, उच्चतर शिक्षा प्रणालियों तथा पद्धतियों; एवं सम्मेलनों और कार्यशालाओं से संबंधित सहयोग को प्रोत्साहन देना और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना ।

अनुच्छेद- तीन

उल्लिखित प्रयोजनों के अलावा, प्रतिष्ठान, वर्तमान करार के उपबंधों के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो निम्नलिखित सहित वर्तमान करार के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों:

- (i) कोष प्राप्त करना।
- (ii) प्रतिष्ठान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए बैंक/बैंकों में प्रतिष्ठान के नाम से बैंक खाता खोलना और उसे संचालित करना।
- (iii) वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार करना और राशि वितरित करना और अनुच्छेद 2(i), (ii) और (iii) के लिए संगत परिवहन, शिक्षण, अनुरक्षण और अन्य व्ययों के भुगतान सहित अनुदान करना और निधियों को अग्रिम रूप से देना।
- (iv) प्रतिष्ठान के नाम में संपत्ति को प्राप्त करना, धारण करना और निपटान करना जैसा कि प्रतिष्ठान के निदेशक बोर्ड द्वारा आवश्यक अथवा वांछनीय समझा जाए।
- (v) वर्तमान करार के उद्देश्यों के अनुसार कार्यक्रमों की योजना बनाना, अंगीकार करना और संपन्न करना।
- (vi) संयुक्त राज्य अमरीका के जे. विलियम फुलब्राइट विदेशी छात्रवृत्ति बोर्ड को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों एवं व्यावसायिकों की सिफारिश करना।
- (vii) उक्त फुलब्राइट विदेशी छात्रवृत्ति बोर्ड को इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सहभागियों के चयन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली अहर्ताओं की सिफारिश करना।
- (viii) प्रतिष्ठान बोर्ड द्वारा चयन किए गए लेखा-परीक्षकों से प्रतिष्ठान के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करना और उसे दोनों पक्षों को उपलब्ध करना।
- (ix) कार्यकारी निदेशक और प्रशासनिक एवं लिपिक वर्गीय स्टाफ कर्मियों को नियुक्त करना और उनका वेतन और पारिश्रमिक निर्धारित और भुगतान करना और प्रतिष्ठान से संबंधित आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य प्रशासनिक व्यय को वहन करना।

- (X) ऐसे शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यकलाप जो वर्तमान करार के उद्देश्यों में सहायक हों किंतु इस करार के तहत उपलब्ध कराए गए कोष द्वारा वित्तपोषित नहीं होते हैं, को संचालित करना या संचालित करने में सहयोग करना या अन्यथा सुविधाजनक बनाना बशर्ते कि ऐसे कार्यक्रमों और कार्यकलापों तथा उनमें प्रतिष्ठान की भूमिका को अग्रिम तौर पर प्रतिष्ठान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और किसी पक्ष द्वारा उन पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद- चार

प्रतिष्ठान के कार्यों का प्रबंधन और निर्देशन एक निदेशक मंडल में निहित होगा जिसमें दस निदेशक (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "मंडल" कहा गया है) होंगे, जिनमें से पांच संयुक्त राज्य अमरीका के और पांच भारत के नागरिक होंगे। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव या उनके नामिति तथा भारत में अमरीकी राजनयिक मिशन के मिशनाध्यक्ष मानद सहअध्यक्ष होंगे और बोर्ड की बैठकों में मतदान न करने वाले सदस्य के रूप में भाग लेने के हकदार होंगे। सामान्यतः बोर्ड व्यापक सहमति के आधार पर कार्य करेगा। बोर्ड के अंदर हल न हो सकने वाले मसले को आपसी परामर्श से हल करने के लिए दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। भारत सरकार को बोर्ड में भारत के नागरिकों को नियुक्त करने अथवा हटाने की शक्ति होगी जिनमें से कम से कम एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एक विदेश मंत्रालय से होंगे। मिशनाध्यक्ष को बोर्ड में संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिकों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होगी जिनमें कम से कम दो अधिकारी भारत में संयुक्त राज्य विदेश सेवा प्रतिष्ठान के अधिकारी होंगे।

निदेशकों की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वे अतिरिक्त दो वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किए जाने के पात्र होंगे। त्यागपत्र, भारत के बाहर आवास का स्थानांतरण, सेवा-अवधि समाप्त होने अथवा अन्यथा कारणों से हुई रिक्तियों को इस अनुच्छेद में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा। इस करार को प्रवृत्त होते समय कार्य कर रहे प्रतिष्ठान बोर्ड के निदेशक अपनी नियुक्ति के समय लागू कार्यकाल के लिए कार्य करना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इस अनुच्छेद के अनुसार उस निदेशक को हटा नहीं दिया जाता।

निदेशक बिना किसी प्रतिपूर्ति के कार्य करेंगे लेकिन प्रतिष्ठान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशकों के आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत है।

बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से एक वर्ष की सेवा-अवधि के लिए एक अध्यक्ष का चयन किया जाएगा बशर्ते कि इस पद पर बारी-बारी से संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के नागरिक पदभार ग्रहण करें।

अनुच्छेद- पांच

बोर्ड, प्रतिष्ठान के कार्यों के संचालन के लिए ऐसे उप-नियमों को अंगीकार करेगा और ऐसी समिति गठित करेगा जिसे वह आवश्यक समझता हो।

अनुच्छेद- छह

प्रतिष्ठान के कार्यकलापों पर दोनों पक्षों को स्वरूप और विषय-सामग्री में स्वीकार्य रिपोर्टें वर्ष में एक बार दोनों पक्षों को भेजी जाएंगी।

प्रतिष्ठान के विवेक पर या किसी भी पक्ष के अनुरोध पर विशेष रिपोर्टें अधिकाधिक बार भेजी जा सकती है।

अनुच्छेद- सात

प्रतिष्ठान का प्रधान कार्यालय भारत की राजधानी वाले शहर में स्थित होगा लेकिन बोर्ड या उसकी किसी भी समिति की बैठकें ऐसे किसी अन्य स्थानों पर आयोजित हो सकती हैं जो बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे और प्रतिष्ठान के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के कार्यकलाप ऐसे किसी स्थान पर किए जा सकते हैं जो बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाए।

अनुच्छेद- आठ

कार्यकारी निदेशक, बोर्ड के संकल्पों और इस करार के निर्देशों और उपबंधों के अनुसार बोर्ड के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यकारी निदेशक की अनुपस्थिति अथवा असमर्थता की अवस्था में बोर्ड एक कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए कर सकता है जितना वह आवश्यक अथवा वांछनीय समझता हो।

अनुच्छेद- नौ

दोनों पक्ष दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों वाली एक वित्त समिति गठित करने पर सहमत हैं जो निम्नलिखित कार्य करेगी:

- (क) प्रत्येक कार्यक्रम-वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के निर्देशों के अध्यक्षीन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित बजट को अनुमोदित करना और प्रतिष्ठान को संबंधित पक्षों द्वारा अंशदान स्वरूप दी जाने वाली बजटीय सहायता का निर्धारण करना।
- (ख) दोनों पक्षों द्वारा समय-समय पर प्रतिष्ठान को जारी की जाने वाली राशि के बारे में दोनों पक्षों को सिफारिश करना; और
- (ग) प्रतिष्ठान के संपरीक्षित लेखों की वर्ष में एक बार समीक्षा करना और बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों को इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक समझे जाने वाले स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करना।

वित्त समिति की आवश्यकतानुसार आवधिक बैठकें होंगी किंतु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। प्रतिष्ठान के कार्यकारी निदेशक, वित्त समिति को सचिवालय सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद- दस

दोनों पक्ष इस करार के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिष्ठान को निधियों का वार्षिक आवंटन करने पर सहमत होंगे। इस प्रकार की जाने वाली वार्षिक आवंटन की राशि दोनों पक्षों के अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार उन्हें उपलब्ध कोषों के अध्यक्षीन होंगे। दोनों पक्षों की इस करार के अंतर्गत लागत को समुचित रूप से बांटने की प्रतिबद्धता के साथ-साथ वे प्रतिष्ठान के लिए दिए जाने वाले अपने-अपने वित्तीय अंशदानों में समानता लाने की आवश्यकता पर सहमत हुए।

प्रतिष्ठान का वेतन, पारिश्रमिक, किराया और प्रयोज्यता सहित उसके सभी प्रशासनिक व्यय, जब तक दोनों पक्षों द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा वहन किया जाता रहेगा।

भारत सरकार के कोषों का बजट तैयार करने और लेखाबद्ध करने और भारत सरकार को वित्तीय एवं कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट के लिए प्रतिष्ठान, भारत सरकार के अनुमोदित वित्तीय मानकों का अनुपालन करेगा।

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के कोषों का बजट तैयार करने और लेखाबद्ध करने और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को वित्तीय एवं कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट देने के लिए प्रतिष्ठान, द्विसंज्ञक आयोगों एवं प्रतिष्ठानों के लिए अमरीकी विदेश विभाग के मैनुअल का अनुपालन करेगा।

अनुच्छेद- ग्यारह

प्रतिष्ठान को निम्नानुसार कराधान से उन्मुक्ति मिलना जारी रहेगा:

- (i) प्रतिष्ठान के आधिकारिक उपयोग के लिए अभिप्रेत उपस्कर, उपकरण, आपूर्ति एवं किसी अन्य सामग्री को सीमा शुल्क अधिभारों, उत्पाद शुल्क एवं उपकरों तथा कराधान के किसी अन्य रूप से भारतीय भूभाग में छूट मिलेगी।
- (ii) प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी राशियों एवं अन्य संपत्ति, जो उसके उद्देश्यों के विषय क्षेत्र के अंदर हों, को इसी प्रकार भारत के भूभाग में हर प्रकार के कराधान से छूट मिलेगी।
- (iii) ऐसे किसी फर्नीचर, उपकरण, आपूर्तियों इत्यादि की भारत में बिक्री अथवा निपटान भारत सरकार के उन नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाएगा जोकि ऐसी बिक्री अथवा निपटान के समय विद्यमान हों।
- (iv) 12 सितंबर, 1989 को हस्ताक्षरित "दोहरे कराधान का परिहार और आय पर लगने वाले करों से संबंधित राजकोषीय अपवंचन का निवारण अभिसमय" जो 1 जनवरी, 1991 को प्रवृत्त हुआ, के अनुसार भारत सरकार के अंशदानों को संयुक्त राज्य अमरीका में करों से छूट होगी।

अनुच्छेद- बारह

भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के द्वारा विदेशियों के लिए लागू घरेलू कानून, नियमों एवं विनियमों के अध्येन, भारत सरकार इस प्रतिष्ठान के तत्वावधान में, भारत में शैक्षिक कार्यकलापों में लगे संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिकों एवं राष्ट्रिकों को कराधान और उनके प्रवेश, यात्रा एवं आवास को प्रभावित करने वाले अन्य भारों से छूट संबंधी वही विशेषाधिकार प्रदान करेगी जो संयुक्त राज्य अमरीका में समान प्रकार के कार्यकलापों में लगे भारतीय नागरिकों और राष्ट्रिकों को प्रदान किए जाते हैं।

अनुच्छेद- तेरह

वर्तमान करार को दोनों पक्षों के बीच राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान के द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद- चौदह

दोनों पक्ष, इस करार में प्राधिकृत कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने और इसके प्रकार्यात्मक होने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए हर प्रयास करेंगे।


अनुच्छेद- पंद्रह


वर्तमान करार संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत की सरकार के बीच कतिपय शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए 19 जून, 1963 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार का स्थान लेगा।

वर्तमान करार इस पर हस्ताक्षर होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत प्राधिकृत होकर वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में जुलाई, 2008 के चौथे दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।


संयुक्त राज्य अमरीका की
सरकार की ओर से
डेविड सी. मलफोर्ड
राजदूत


भारत सरकार की
ओर से
शिवशंकर मेनन
विदेश सचिव

संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार द्वारा अनुच्छेद-11(iv) पर अमल
के तरीके पर सहमति के स्पष्टीकरण से संबंधित विवरण पत्र।

प्रतिष्ठान को भारत सरकार से मिले अंशदान पर अमेरिकी संघीय आयकर प्रावधानों से छूट के संबंध में भारत सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार उस तरीके के बारे में सूचित करना चाहती है जिसके अनुरूप वह अनुच्छेद-11(iv) पर अमल को प्रभावी करने को तैयार है। अनुच्छेद-1, 9 और 10 के अनुरूप प्रतिष्ठान के सारे वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा संबंधित पक्षों से प्राप्त होगा, प्रतिष्ठान अमेरिकी व्यक्ति नहीं है और न ही ऐसा होगा, और प्रतिष्ठान संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार या कारोबार में शामिल नहीं है और न ही ऐसा होगा। इन शर्तों के तहत भारत सरकार से प्रतिष्ठान को प्राप्त होने वाले अंशदान पर अमेरिकी संघीय आयकर प्रावधानों से छूट होगी।



संयुक्त राज्य अमेरिका की
सरकार की ओर से
डेविड सी. मलफोर्ड
राजदूत



भारत सरकार की
ओर से
शिवशंकर मेनन
विदेश सचिव